



20/5/2024
वकील
राम
श्री

Case No. 76/2024 नेमीचन्द v/s लक्ष्मण
वकील वादी द्वारा प्रा. पत्र वास्ते अपील सुनवाई
के प्रा. पत्र वास्ते राजीनामा प्रस्तुत करने के
पत्रावली लिपत लिपी से पूर्व आज रखव
की गई। वादी नेमीचन्द उर्फ. लक्ष्मण प्रतिवादी रत्ना
रिव्काबाय, लक्ष्मण, सुमती. नाम् वहादी उर्फ.
होकर अरिफ वकील वादी मिवेदन किया कि उक्त
प्रकरण मे वादी व प्रतिवादीगण के मध्य को
अपारत की भावना से राजीनामा हो चुका है
वे अब फरार कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।
हमारे द्वारा वकील वादी को सुना गया अतः
प्रकरण संख्या 76/2024 नेमीचन्द बनाम लक्ष्मण
को राजीनामे में इसी स्तर पर खारिज
किया जा रहा है प्रा. पत्र के तल सुमार होकर
नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)



शेखी


विहडकरवा


लक्ष्मण


सुभानी


बोशर


दोही


पहचान
दुस